न्यायालय उपखंड अधिकारी, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 10/18
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र
तारीख निर्णय – 13.02.2019

1. शारदा सर्वोदय संस्था द्वारा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पुत्र सांवलिया राम जाति बंजारा निवासी नदबई जिला भरतपुर राज. – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नदबई जिला भरतपुर राज.। – अप्रार्थीगण

उपस्थित:– 1. श्री लक्ष्मणसिंह एण्ड0

प्रार्थना पत्र बाबत् खसरा नं. 770 रकबा 0.10 वाके बैलारा तहसील नदबई में से हिस्सा 940/1000 वाके बैलारा पर सिवायचक हिस्सा 940/1000 नगरपालिका नदबई खातेदार के स्थान पर प्रार्थी को खातेदारी दर्ज करने बाबत्।

निर्णय दिनांक 13.02.2019

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार यह है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 770 रकबा 0.10 वाके बैलारा तहसील नदबई को उक्त भूमि पर विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा नगरपालिका नदबई के समक्ष अकृषि भूमि में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि में से 940.08 वर्ग मी. यानि 940/1000 हैक्ट. भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को राज्य सरकार में पुर्नग्रहीत कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दर्ज कराने का आदेश दिया किन्तु उसके पश्चात से नगरपालिका नदबई द्वारा न तो प्रीमियम राशि जमा करवाने की कोई कार्यवाही की गई न ही प्रार्थी को पट्टा जारी करवाने की कार्रवाई की गई। प्रार्थी इस भूमि पर शिक्षण संस्था स्थापित कर चलाना चाहता था किन्तु विवादग्रस्त भूमि पर शिक्षण संस्था बनाने व आने–जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त करना चाहता है किन्त नगरपालिका नदबई द्वारा धारा 90 बी के तहत आदेश पारित करने से पूर्व न तो रास्ता उपलब्ध करवाया गया और न ही कोई विकल्प दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी (एस डी एम) नगरपालिका नदबई यानि की श्रीमान् द्वारा दिनांक 01.12.2009 को तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ख) 3 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (2) के तहत उक्त भूमि खसरा नं. 770 रकबा 0.10 हैक्ट. अर्थात 1000 वर्ग मी. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर में से 940. 08 भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकार को राज्य सरकार के पुनः गृहीत कर नगरपालिका नदबई के हक में दर्ज कराने का निर्देश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया। उक्त हिस्सा 940/1000 विवादाग्रस्त है। श्रीमान् के आदेश दिनांक 01.12.2009 की अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां पेश की जिसे उन्होंने 20.04.2018 को खारिज कर दिया। संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां विरूद्ध पार्टी ने राजस्व मंडल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2018 से स्वीकार करते हुए श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। प्रार्थी ने संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ नहीं किया है तथा न ही कोई निर्माण आदि करवाया है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने पट्टा प्राप्त नहीं किया है एवं शिक्षण संस्था स्थापित करने का विचार भी त्याग दिया है। प्रार्थी ने अपनी संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ न कर स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि को मूल रूप में खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने विवाद ग्रस्त भूमि बाबत् पट्टा प्राप्त नहीं किया है एवं शिक्षण संस्था स्थापित करने का विचार भी त्याग दिया है। प्रार्थी ने अपनी संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ न कर स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि को मूल रूप से खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 770 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई का सिवायचक हिस्सा 940/1000 नगरपालिका नदबई खातेदारी के स्थान पर प्रार्थी के खातेदारी काश्तकारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करे तथा सिवायचक हिस्सा 940/1000 नगरपालिका नदबई खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार की ओर से महेन्द्र सिंह रोशन एडवोकेट उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रार्थी ने खसरा नं. 717 रकबा 0.10 वाके बैलारा के पास नदबई तहसील नदबई को उक्त भूमि पर विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा नगरपालिका नदबई के समक्ष अकृषि भूमि में परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् उक्त भूमि में से 940.08 वर्ग मी. यानि 940/1000 हैक्ट. भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकार को राज्य सरकार में पुर्नग्रहीत कर अप्रार्थी सं. 2 के हक में दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय ने आदेशित किया कि प्रार्थी ने धारा 90 बी की कार्यवाही के बाद नगरपालिका नदबई में प्रीमियम जमा कराकर पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की थी प्रार्थी न धारा 90 ख भू राजस्व अधि. के तहत स्वंय अपनी स्वेच्छा से भूमी समर्पण की है। प्रार्थी की खातेदारी के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। उक्त आराजी नगरपालिका नदबई में निहित हो चुकी है। प्रार्थी को इस संबंध में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता लेकिन प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा है तथा मौके पर फसल बो रखी है। प्रार्थी ने स्वयं के हितार्थ बिना किसी आधार के तथ्यों को छुपाकर अवैधानिक तरीके से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 वाके ग्राम बैलारा नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई नकल प्रमाणित फोटो प्रति निर्णय दिनांक 20.07.2018 न्यायालय राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मंडल अजमेर नकल निर्णय फोटो प्रति दिनांक 01.12.2009 न्यायालय उपखंड अधिकारी नदबई नकल प्रमाणित फोटो प्रति निर्णय दिनांक 20.04.2018 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी वकील ने दौरान बहस कहा कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 717 रकबा 0.10 वाके बैलारा तहसील नदबई को उक्त भूमि पर विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा नगरपालिका नदबई के समक्ष अकृषि भूमि में परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार नदबई ने मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद कृषि भूमि में से 940.08 यानि 940/1000 वर्ग मी. भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के राज्य सरकार में पुनः गृहीत कर अप्रार्थी संख्या 2 नगरपालिका नदबई के हक में दर्ज करने का आदेश दिया किन्तु नगरपालिका नदबई द्वारा न तो कोई प्रीमियम राशि जमा करवाने की कार्रवाई की गई न ही कोई पट्टा जारी करवाने की कार्रवाई की गई। प्रार्थी उक्त भूमि पर शिक्षण संस्था स्थापित कराना चाहता था परन्तु विवादग्रस्त भूमि पर शिक्षण संस्था बनाने व आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। नगरपालिका नदबई द्वारा धारा 90 बी आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई रास्ता उपलब्ध करवाया और न ही कोई विकल्प दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी (एस डी एम नदबई), नगरपालिका नदबई द्वारा दिनांक 01.12.2009 को तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ख) 3 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(2) के तहत उक्त भूमि 770 रकबा 0.10 हैक्ट. अर्थात 1000 वर्ग मी. वाके ग्राम बैलारा में से 940.08 वर्ग मी. भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकार को राज्य सरकार में पुनगृहीत कर नगरपालिका नदबई के हक में दर्ज करने का आदेश दिया जो श्रीमान् के आदेश दिनांक 01.12.2000 के खिलाफ अपील प्रार्थी ने संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहां पेश की उक्त अपील को आयुक्त महोदय ने दिनांक 20.04.2018 को खारिज कर दिया गया। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की। उक्त अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2018 से स्वीकार करते हुए श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया इस प्रकार माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने यह माना है कि प्रार्थी की की गई भूमि पुनः मूल खातेदार को लौटाई जा सकती है। प्रार्थी ने संपरिवर्तन भूमि का उपयोग शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ कोई निर्माण नहीं कराया है तथा भूमि को मूल रूप में कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी दर्ज कराने के आदेश किये जावें इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

जबाब में पैरोकार सरकार ने बहस दौरान कहा कि प्राथी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश कि है वह ख.न. 770 रकवा 0.10 वाके ग्राम बैलारा के पास उक्त भूमि पर विधालय स्थापित करने के उदश्य से प्राीि द्वारा नगर पालिका नदबई के समक्ष अकृषि भूमि में परिवर्तन करने के हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार नदबई द्वारा मौका रिपोर्ट तलव करने के बाद उक्त भूमि मे से 940.08 वग्र मीटर यानि 940/1000 हैक्ट. भूमि के प्राथी के खातेदारी अधिकार को राज्य सरकारर में पुर्नग्रहित कर नगर पालिका नदबई के हक में दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा न तो नगर पालिका नदबई में प्रीमियम राशि जमा कराई औश्र नही पटटा जारी करवाया गया । प्रार्थी द्वारा स्वयं अपी स्वेच्छा से भूमि समर्पण की है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। उक्त अराजी नगर पलिका नदबई में निहित हो चुकी है। प्रार्थी को इस संबंध में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त

Web Copy - Not Official

भूमि विवादग्रस्त भूमि है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान सम्भागिय आयुक्त मोह0 के समक्ष अपील पेश कि गई जासे खारिज भी कि जा चुकी है। इलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

हमने दोनो विद्वान वकील कि बहस को सुना तथा प्रत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड को उवलोकन किया गया तो पाया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 770 रकबा 0.10 वाके बैलारा तहसील नदबई को उक्त भूमि पर विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा नगरपालिका नदबई के समक्ष अकृषि भूमि में परिवर्तन करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि में से 940.08 वर्ग मी. यानि 940/1000 हैक्ट. भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को राज्य सरकार में पुर्नग्रहीत कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दर्ज कराने का आदेश दिया। किन्तु उसके पश्चात से नगरपालिका नदबई द्वारा न तो प्रीमियम राशि जमा करवाने की कोई कार्यवाही की गई न ही प्रार्थी को पट्टा जारी करवाने की कार्रवाई की गई। प्रार्थी इस भूमि पर शिक्षण संस्था स्थापित कर चलाना चाहता था किन्तु विवादग्रस्त भूमि पर शिक्षण संस्था बनाने व आने–जाने के लिये नगर पालिका द्वारा कोई रास्ता नहीं दिया गया है। नगपपालिका नदबई द्वारा धारा 90 बी के तहत आदेश पारित करने से पूर्व न तो रास्ता उपलब्ध करवाया गया और न ही कोई विकल्प दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी (एस डी एम) नगरपालिका नदबई यानि की उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.2009 को तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ख) 3 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (2) के तहत उक्त भूमि खसरा नं. 770 रकबा 0.10 हैक्ट. अर्थात 1000 वर्ग मी. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर में से 940. 08 भूमि के प्रार्थी के खातेदारी अधिकार को राज्य सरकार के पुनः गृहीत कर नगरपालिका नदबई के हक में दर्ज कराने का निर्देश दिया। उक्त हिस्सा 940/1000 विवादाग्रस्त है। श्रीमान् के आदेश दिनांक 01.12.2009 की अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां पेश की जिसे उन्होंने 20.04.2018 को खारिज कर दिया। संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां विरूद्ध पार्टी ने राजस्व मंडल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2018 से स्वीकार करते हुए श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। तथा पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया गया है कि प्राथी का विवादितत आराजी पर वर्तमान में कब्जा है तथा मौके पर फसल बो रखी है। तथा मौका रिपोर्ट पेश कि गई जिसमें ख.न. 770/0.10 पर शारदा सर्वोदय संस्था अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पुत्र सामलियाराम हि060/1000 कौम बंजारा सा. नदबई दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ख.न. 770, 1248, का हिस्सा 1/2 व ख0न0 1249 तीनो मिले हुए है। और तीनो में सरसो की फसल खडी हुई है। और किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही हो रहा है। तथा न्यायालय के आदेश क्रमांक 2271–73 दिनांक 8.12.2009 की पलना में एल आर एक्ट की धारा 90 बी व सहपठित आर टी.ए. 1955 की धारा 63 (2) के तहत ख.न. 770/0.10 में से 940.08 वर्ग मीटर राज्य सरकार के पक्ष में पुनग्रहित कर नगर पालिका नदबई के हक में नामा0स. 336 दिनांक 23.12.2009 को दर्ज किया गया । इस प्रकार मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त मौके पर काई निर्माण नही है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। नायब तहसीलदार नदबई द्वारा नक्शा तथा नक्शा टेस भी पेश किया गया है फसल के पैरोकार द्वारा फोटो भी पेश किये है। जिससे साबित होता है कि प्राथी का आज भी मौके पर कब्जा है तथा फसल भी बो रखी है। आराजी प्रार्थी ने संपरिवर्तन भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ नहीं किया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा न ही कोई निर्माण आदि करवाया है। प्रार्थी ने पट्टा प्राप्त नहीं किया है एवं शिक्षण संस्था स्थापित करने का विचार भी त्याग दिया है। तथा श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की। उक्त अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2018 से स्वीकार करते हुए श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्देशित भी किया गया। तथा राज्य सरकार का आदेश इस संबंध में स्पष्ट है कि यदि कोई संपरिवर्तित भूमि का उपयोग सपंरिवर्मित प्रयाजनार्थ न कर पाने पर आंवटी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप में दर्ज करवाया जा सकता है। एव राज0 भू.राजस्व अधि0 1956 की धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशो की पालना में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि आराजी ख. न0 770 रकवा 0.10 हैक्ट. वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई का सिवाय चक हिस्सा 940/1000 पर नगर पालिका नदबई खातेदार के स्थान पर प्राथी की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज करने आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official